## TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (REVENUE DEPARTMENT) 5, SHAM NATH MARG, DELHI

F No. 11(11)/Rev. Estt./S.R./633

Dated: 12/05/2019

## NOTIFICATION

- (i) In exercise of powers conferred by Section 5 of the Delhi land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint, **Shri Dharmendra, IAS (AGMU: 89), Secretary(Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi** as Collector in the National Capital Territory of Delhi and delegates the powers of Collector under Section 6 read with Section 76 of the said Act to him so long as he holds the post or till further orders which ever is earlier.
- (ii) In Exercise of powers conferred by section 3(6) of the Delhi land Reforms Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to empower **Shri Dharmendra**, **IAS (AGMU: 89)**, **Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner**, **Delhi** to discharge the functions of Deputy Commissioners under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as he holds the post or till further orders which ever is earlier.
- (iii) In exercise of powers conferred by section 105(1)(a) of the Punjab Tenancy Act, 1887 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon **Shri Dharmendra**, **IAS (AGMU: 89)**, **Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner**, **Delhi** all powers of Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as he holds the post or till further orders which ever is earlier.
- (iv) In exercise of powers conferred by Section 27(1)(a) of the Punjab land Revenue Act, 1887, as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon **Shri Dharmendra**, **IAS (AGMU: 89)**, **Secretary(Revenue)/Divisional Commissioner**, **Delhi** all powers of Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the post or till further orders which ever is earlier.
- (v) In exercise of powers conferred by Section 14(A) of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Shri Dharmendra, IAS (AGMU: 89), Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi all powers of Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as he holds the post or till further orders which ever is earlier.
- (vi) In exercise of powers conferred by Section 41(1) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act 1948, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby appoints **Shri Dharmendra, IAS (AGMU: 89), Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi** and delegates the powers of hearing appeals under Section 21(4) of the said Act against the order of Settlement Officer(Consolidation)passed under Section 21(3) of the said Act to him so long as he holds the post or till further orders which ever is earlier.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE Lt. GOVERNOR OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(Kuldee) Singh Gangar)

Addl. Secretary (Revenue)

Dated: 12/05/2011

F No. 11(11)/Rev. Estt./S.R./ 633

Copy forwarded for information and necessary action to:-

- The Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in part-IV, Delhi Extra Ordinary Gazette.
- 2. Shri Dharmendra, IAS (AGMU: 89), Secretary(Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi.
- 3. The System Analyst, Revenue Department with the request to upload the notification on the website of this department.
- 4. P.S. to Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi.
- 5. Guard file.

(Rajiv Kumar)

Sub Divisional Magistrate-I (HQ)

## दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार (राजस्व विभाग) 5 ,शाम नाथ मार्ग , दिल्ली

सं०.एफ, 11/11/रा. स्था./स.रा/633

दिनांक : 12/05/2011

## अधिसूचना

- दिल्ली भू–राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 1. दिल्ली के उप-राज्यपाल, श्री धर्मेन्द्र, भा.प्र.से. (AGMU: 89), को जब तक वे सचिव (राजस्व) / मण्डलायुक्त, दिल्ली के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर नियुक्त करते हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 तथा 76 के अतंर्गत उन्हें जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान करते हैं ।
- दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 3 (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 2. दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री धर्मेन्द्र, भा.प्र.से. (AGMU: 89) को जब तक वे सचिव (राजस्व) / मण्डलायुक्त, दिल्ली के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो उक्त अधिनियम के अंतर्गत उपायुक्त के कार्यपालन हेत शक्तियां प्रदान करते हैं ।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब टेनेंसी अधिनियम 1887 की धारा 105 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त 3 शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल, श्री धर्मेन्द्र, भा.प्र.से. (AGMU: 89) को जब तक वे सचिव (राजस्व) / मण्डलायक्त, दिल्ली के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो उक्त अधिनियम के अतंर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं ।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 27 (1) (ए) द्वारा 4. प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री धर्मेन्द्र, भा.प्र.सं. (AGMU: 89) को जब तक वे सचिव (राजस्व) / मण्डलायुक्त, दिल्ली के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो उक्त अधिनियम के अतंर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं ।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 14 (ए)द्वारा 5. प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री धर्मेन्द्र, भा.प्र.से. (AGMU: 89) को जब तक वे सचिव (राजस्व) / मण्डलायुक्त, दिल्ली के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो उक्त अधिनियम के अतंर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं ।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी एवं विखण्डन रोकथाम) अधिनियम 1948 की धारा 41 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल, श्री धर्मेन्द्र, भा.प्र.से. (AGMU: 89) को जब तक वे सचिव (राजस्व) / मण्डलायुक्त, दिल्ली के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तर्क जो भी पहले हो कथित अधिनियम की धारा 21 (4) के अतंर्गत बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) द्वारा धारा 21 (3) में पारित किये गये आदेशों के खिलाफ समस्त अपीलें सूनने के लिए अपीलेंट अथोरिटी नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर

क्रा लाम । मेर मागा

(कुलदीप सिंह गंगर) अति. सचिव (राजस्व)

दिनांक : 12/05/2011

सं०.एफ, 11/11/रा. स्था./स.रा/633 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. उप-सचिव सा. प्रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशानार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी अनुवाद सहित ।

2. श्री धर्मेन्द्र, भा.प्र.से. (AGMU: 89) सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, दिल्ली ।

अ प्रिणाली विश्लेष्क (System Analyst).

4. सचिव(राजस्व) / मण्डलायुक्त के निजी सचिव । 5. गार्ड फाइल ।

(राजीव कुमार) उपमण्डलीय द्रण्डाधिकारी ( मू0-1 )